पहला अध्याय

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

प्रस्तावना

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) के अन्तर्गत राज्य की सरकारी कम्पनियाँ तथा सांविधिक निगम आते हैं। राज्य के पीएसयूज की स्थापना जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए किया गया है। 31 मार्च 2016 को छत्तीसगढ़ में 22 पीएसयूज थे, जिनमें एक सांविधिक निगम सम्मलित था जिसका विवरण **अनुलग्नक–1.1** में दिया गया है। इनमें से कोई भी कम्पनी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी। वर्ष 2015–16 के दौरान एक पीएसयू केरवा कोल लिमिटेड (केसीएल) की स्थापना हुई तथा कोई भी पीएसयू/सांविधिक निगम बंद नहीं हुआ। 31 मार्च 2016 को राज्य के पीएसयूज का विवरण **तालिका–1.1** में दिया गया है।

तालिका–1.1: 31 मार्च 2016 को पीएसयूज की कुल संख्या

पीएसयूज के प्रकार	कार्यरत् पीएसयूज	गैर कार्यरत् पीएसयूज	कुल
सरकारी कम्पनियाँ[1]	21	–	21
सांविधिक निगम	1	–	1
कुल	**22**	**–**	**22**

(स्त्रोत : पीएसयूज द्वारा प्रस्तुत जानकारी से संकलित आंकडे)

30 सितम्बर 2016 को अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार इन कार्यरत् पीएसयूज ने ₹ 21579.75 करोड़ का आवर्त दर्ज किया। वर्ष 2015–16 के लिए यह आवर्त राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 8.58 प्रतिशत के बराबर था। 30 सितम्बर 2016 को पीएसयूज के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार कार्यरत् पीएसयूज ने ₹ 1108.05 करोड़ की हानि वहन की। 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार इन पीएसयूज ने 20317 कर्मचारियों को नियोजित किया था।

राज्य के पीएसयूज में एक स्वायत्तशासी निकाय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी) शामिल नहीं है जिसका भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) एकमात्र लेखापरीक्षक है।

जवाबदेयता संरचना

1.2 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 139 एवं 143 के अनुसार अधिशासित होती है। अधिनियम की धारा 2 (45) के अनुसार, "सरकारी कम्पनी" वह कम्पनी है जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी में केन्द्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार या सरकार, या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकार और एक सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी को सम्मिलित करते हुये ऐसी कम्पनी का हिस्सा 51 प्रतिशत से कम न हो।

इसके अतिरिक्त, सीएजी यदि आवश्यक समझे तो ऐसी कम्पनियाँ जो अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (5) एवं (7) के अन्तर्गत आती हैं, को धारा 143 की उपधारा (7) के अनुसार या किसी आदेश के अनुसार इन कम्पनियों के लेखों की नमूना जाँच लेखापरीक्षा कर सकते है तथा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा–शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19 अ के प्रावधान भी ऐसी नमूना जाँच प्रतिवेदन

[1] सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सम्मिलित है, अन्य कम्पनियाँ जो कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) एवं 139 (7) में चिन्हित है।

पर लागू होंगें। इस प्रकार सरकारी कम्पनी या अन्य कोई कम्पनी जिसका स्वामित्व या नियंत्रण, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केन्द्र सरकार या अन्य राज्य सरकार या सरकार या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार तथा आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकार के पास हो, का लेखापरीक्षण सीएजी द्वारा किया जा सकता है। 31 मार्च 2014 को या उसके पूर्व के वित्तीय वर्षों के संबंध में कम्पनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार ही अधिशासित होगी।

सांविधिक लेखापरीक्षा

1.3 सरकारी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों (जैसा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित है) की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है जिनकी नियुक्ति अधिनियम की धारा 139 (5) एवं (7) के प्रावधानों के अनुसार सीएजी द्वारा की जाती है, जो अधिनियम की धारा 143 (5) के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के वित्तीय विवरणों को सम्मिलित करते हुये अन्य के साथ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सीएजी को प्रस्तुत करेगा। इन वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(6) के अनुसार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्राप्त होने के 60 दिनों के अन्दर सीएजी द्वारा संपादित की जाती हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम (सीएसडब्ल्यूसी) जो कि एक सांविधिक निगम है, की लेखापरीक्षा भण्डारगृह निगम अधिनियम, 1962 के तहत शासित है। सीएसडब्ल्यूसी की लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउण्टेंटो द्वारा तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है।

सरकार एवं विधायिका की भूमिका

1.4 राज्य शासन इन पीएसयूज के मामलों पर नियंत्रण अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से रखती है। बोर्ड के लिए मुख्य कार्यकारी तथा निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है।

राज्य विधायिका पीएसयूज के लेखांकन तथा सरकारी निवेश की उपयोगिता की भी निगरानी करती है। इसके लिए, अधिनियम की धारा 394 या संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार की कम्पनियाँ, अपने वार्षिक प्रतिवेदन के साथ सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन एवं सीएजी की टिप्पणियों तथा सांविधिक निगम के संदर्भ में, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, विधायिका में प्रस्तुत की जाती है। सीएजी का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सीएजी (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा–शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 अ के अधीन शासन को प्रस्तुत किया जाता है।

छत्तीसगढ़ शासन का अंश

1.5 इन पीएसयूज में राज्य शासन का बड़ा वित्तीय अंश है। यह अंश मुख्यतः तीन प्रकार के है:

- **अंश पूँजी एवं ऋण**– अंश पूँजी योगदान के अतिरिक्त, राज्य सरकार समय समय पर ऋण देकर पीएसयूज को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।
- **विशेष वित्तीय सहायता–** राज्य सरकार पीएसयूज को आवश्यकता के अनुसार बजटीय सहायता, अनुदान एवं उपदान देती है।
- **प्रत्याभूति–** राज्य सरकार, वित्तीय संस्थानों द्वारा पीएसयूज को प्रदान किये गये ब्याज सहित ऋण की अदायगी के लिए प्रत्याभूति भी प्रदान करती है।

राज्य के पीएसयूज में निवेश

1.6 31 मार्च 2016 को, 22 राज्य के पीएसयूज में निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 27881.71 करोड़ था, जिसका विवरण **तालिका – 1.2** में दिया गया है।

तालिका – 1.2: पीएसयूज में कुल निवेश

(₹ करोड़ में)

सरकारी कम्पनियाँ			सांविधिक निगम			कुलयोग
पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	
12342.36	15426.01	27768.37	4.04	109.30	113.34	27881.71

(स्त्रोत : पीएसयूज द्वारा प्रस्तुत जानकारी से संकलित आंकडे)

31 मार्च 2016 को राज्य के पीएसयूज में कुल निवेश का, 44.28 प्रतिशत पूँजी में और 55.72 प्रतिशत दीर्घावधि ऋणों में था। पीएसयूज में निवेश वर्ष 2011–12 में ₹ 17734.35 करोड़ से 57.22 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015–16 में ₹ 2788.71 करोड़ हो गया जैसा कि रेखाचित्र–1.1 में दर्शाया गया है।

रेखाचित्र– 1.1: पीएसयूज में कुल निवेश (पूँजी और दीर्घावधि ऋण)

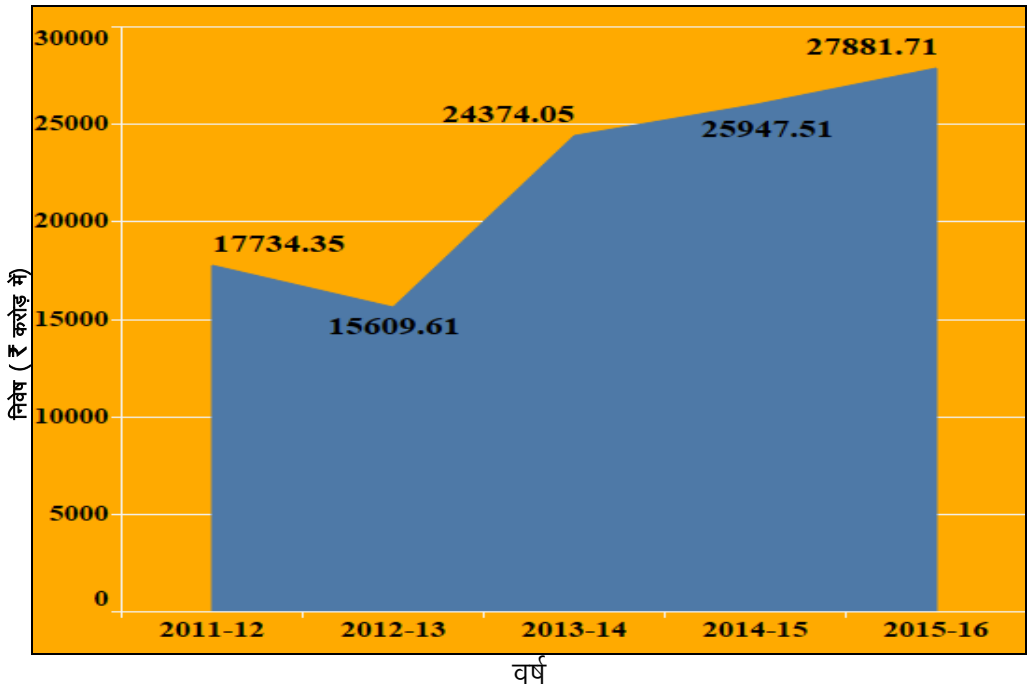

1.7 31 मार्च 2016 को राज्य के पीएसयूज में निवेश का क्षेत्र–वार सारांश तालिका– 1.3 में दिया गया है।

तालिका – 1.3: पीएसयूज में क्षेत्र–वार निवेश

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र का नाम	सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगम	कुल	निवेश
कृषि एवं संबंधित	2	-	2	27.15
वित्त	1	-	1	5.00
अधोसंरचना	3	-	3	10.70
खनन	5	-	5	108.08
विद्युत	5	-	5	25157.36
सेवाऐं	5	1	6	2573.42
कुल	**21**	**1**	**22**	**27881.71**

(स्त्रोत : पीएसयूज द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से संकलित आंकड़े)

31 मार्च 2012 तथा 31 मार्च 2016 को विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश तथा उनका प्रतिशत रेखाचित्र – 1.2 में दर्शाया गया हैं।

रेखाचित्र–1.2: महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश

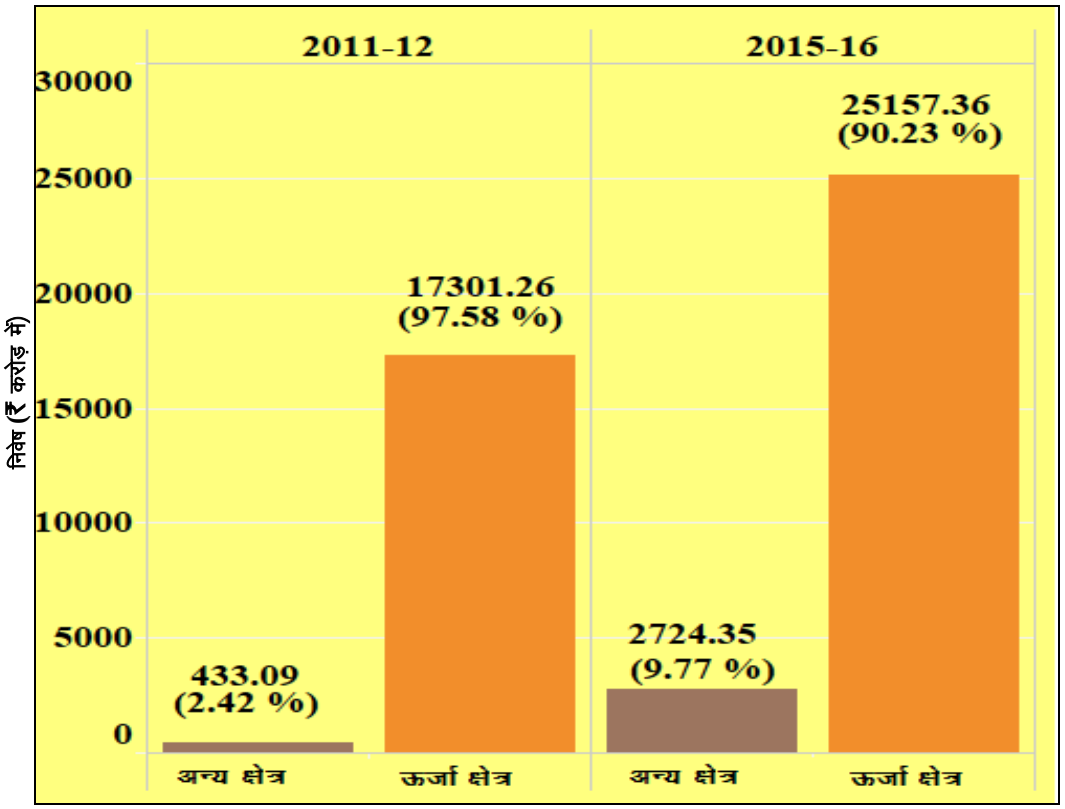

पीएसयू में निवेश का जोर मुख्यतः ऊर्जा के क्षेत्र में था, जोकि 31 मार्च 2016 की स्थिति में कुल निवेश का 90.23 प्रतिशत था। पिछले पाँच वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में निवेश वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2011–12 में ₹ 17301.26 करोड़ से बढ़कर 2015–16 मे ₹ 25157.36 करोड़ हो गया जोकि 45.41 प्रतिशत है। जिसका मुख्य कारण ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के द्वारा पावर फाईनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड/रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड से अपनी नई परियोजनाओं और उन्नयन कार्यो के लिए सरकार द्वारा समता एवं ऋण में किया गया निवेश रहा।

वर्ष के दौरान विशेष सहायता एवं प्रत्याय

1.8 राज्य शासन वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूप में पीएसयूज को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। राज्य पीएसयूज में समता, ऋण, अनुदान/उपदान, ऋण का अपलेखन व ब्याज की माफी के प्रति बजटीय व्यय का संक्षिप्त विवरण 2015–16 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के लिए **तालिका – 1.4** में दिया गया है।

तालिका – 1.4: पीएसयूज को दी गई बजटीय सहायता का विवरण

क्र. सं.	विवरण	2013-14		2014-15		2015-16	
		पीएसयूज की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	बजट से समता पूँजी बहिर्गमन	2	22.45	1	4.90	-	-
2.	बजट से दिये गए ऋण	3	556.78	1	16.87	4	531.71
3.	प्राप्त अनुदान/उपदान	8	3007.97	9	2802.62	8	1992.71
4.	**कुल बहिर्गमन (1+2+3)**	**11[2]**	**3587.20**	**11[2]**	**2824.39**	**9[2]**	**2524.42**
5.	ऋण एवं ब्याज की माफी	-	-	-	-	-	-
6.	निर्गत प्रत्याभूति	1	500.00	2	526.00	1	1000
7.	प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	3	867.70	3	744.73	3	1353.46

(स्त्रोत : पीएसयूज द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से संकलित आंकड़े)

विगत पाँच वर्षों के लिए समता, ऋण एवं अनुदान/उपदान से संबंधित बजटीय बहिर्गमन का विवरण **रेखाचित्र – 1.3** में दिया गया है।

रेखाचित्र – 1.3: समता, ऋण एवं अनुदान/उपदान से संबंधित बजटीय बहिर्गमन

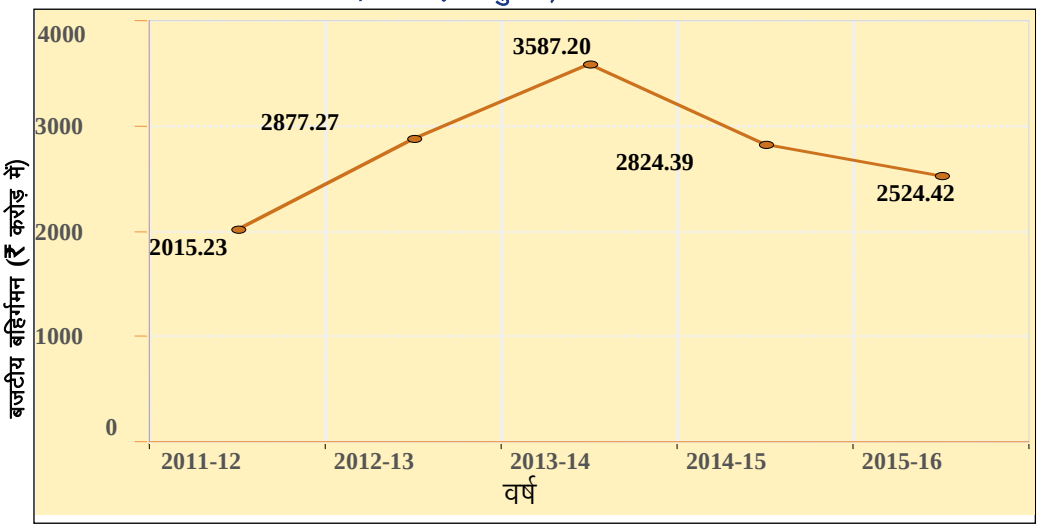

समता, ऋण एवं अनुदान/उपदान से संबंधित बजटीय बहिर्गमन वर्ष 2011–12 में ₹ 2015.23 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 3587.20 करोड़ हो गया, तत्पश्चात्, वर्ष 2014–15 में घटकर ₹ 2824.39 करोड़ और वर्ष 2015–16 में ₹ 2524.42 करोड़ हो गया। वर्ष 2015–16 के दौरान बजटीय बहिर्गमन ₹ 2524.42 करोड़ में सम्मिलित है, ₹ 1848.27 करोड़ की सहायता जो कि दो पीएसयू को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड तथा छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को क्रमशः ₹ 1763.73 करोड़ एवं ₹ 84.54 करोड़ अनुदान एवं उपदान के रूप में दी गई।

अदत्त प्रत्याभूति 2013–14 में ₹ 867.70 करोड़ से बढ़कर 2015–16 में ₹ 1353.46 करोड़ हो गई। वर्ष 2015–16 के दौरान किसी भी पीएसयूज के द्वारा राज्य शासन को प्रत्याभूति शुल्क/कमीशन का भुगतान नहीं किया गया था।

[2] यह उन पीएसयूज की वास्तविक संख्या को दर्शाता है जिन्होने बजटीय सहायता प्राप्त की। कुछ पीएसयूज एक वर्ग से अधिक में आते है।

वित्त लेखों से समाधान

1.9 राज्य के पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार समता, ऋण और अदत्त प्रत्याभूति के आंकड़े, राज्य के वित्त लेखों में दर्शाए गए आंकड़ो के समान होने चाहिए। यदि आंकड़ो में भिन्नता हो तो, संबंधित पीएसयूज और वित्त विभाग को भिन्नताओं का समाधान करना चाहिए। इस संदर्भ में 31 मार्च 2016 की स्थिति **तालिका – 1.5** में दर्शित है।

तालिका – 1.5: वित्त लेखों पर पीएसयूज दस्तावेज के अभिलेखों के अनुसार समता, ऋण और अदत्त प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

अदत्त के संबंध में	वित्त लेखों के अनुसार राशि	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार राशि	भिन्नता
समता	5969.83	8225.08	2255.25
ऋण	257.48	531.71	274.23
प्रत्याभूति	857.76	1353.46	495.70

(स्त्रोतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो द्वारा वर्ष 2015–16 के राज्य के वित्तीय लेखों की प्राप्त जानकारी)

लेखापरीक्षा ने पाया कि 10 पीएसयूज[3] के आंकड़ो में भिन्नता थी और इनमें से कुछ भिन्नताओं का समाधान 2004–05 से लंबित था। यद्यपि वित्त लेखों में दर्ज आंकड़े और पीएसयू के अभिलेखों में भिन्नताओं को पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित किया गया था, परंतु राज्य शासन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई। शासन और पीएसयूज को भिन्नताओं के समाधान के लिए उचित समय के अंदर ठोस कदम उठाना चाहिए।

लेखों के अंतिमीकरण में बकाया

1.10 कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 96 (1) सहपठित धारा 129 (2) के प्रावधानों के तारतम्य में सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के छह माह के अंदर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये कम्पनियों के वित्तीय विवरणों को अंतिमीकृत करना आवश्यक है अर्थात् सितम्बर तक। ऐसा करने में असफल होने पर अधिनियम की धारा 99 के दाण्डिक प्रावधान लागू हो जाते हैं जिसके अंतर्गत कम्पनी के प्रत्येक उत्तरदायी अधिकारी जो इस कृत्य के लिये जिम्मेदार है, पर दण्डात्मक कार्यवाही के साथ अर्थदण्ड जो कि एक लाख रुपये तक हो सकता हैं की कार्यवाही की जा सकती हैं तथा यदि ऐसी चूक आगे लगातार चलती है तो ऐसा अर्थदण्ड जो कि प्रत्येक दिन के लिये बढ़कर ₹ 5000 तक हो सकता है, जब तक यह चूक जारी रहती है। ऐसी सरकारी कम्पनियाँ जिनके लेखे बकाया हैं, का प्रबंधन ऐसी चूक के लिये उत्तरदायी है। उसी तरह, सांविधिक निगम उनके लेखे अंतिमीकृत, लेखापरीक्षित तथा विधायिका में प्रस्तुत करने से सम्बन्धित प्रावधान उनके सम्बंधित अधिनियम में दिये गये है।

30 सितम्बर 2016 तक लेखों के अंतिमीकरण करने में पीएसयूज द्वारा की गई प्रगति का विवरण **तालिका – 1.6** में प्रस्तुत है।

[3] सीआरव्हीव्हीएनएल, सीएसआईडीसी, सीएसपीडीसीएल, सीएसपीजीसीएल, सीएसपीएचसीएल, सीएसपीटीसीएल, सीआईडीसी, सीएससीएससीएल, सीएनजेव्हीएव्हीएन एवं सीएसडब्ल्यूसी।

तालिका – 1.6: कार्यरत् पीएसयूज के लेखों के अंतिमीकरण की स्थिति

क्र. सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1.	पीएसयूज की संख्या	20[4]	19	20	21	22
2.	वर्ष के दौरान अंतिमीकृत हुए लेखों की संख्या	16	24	21	24	23
3.	लंबित लेखों की संख्या	41	36	37	34	33[5]
4.	लंबित लेखों वाले पीएसयूज की संख्या	15	15	15	17	15
5.	लंबित लेखों की अवधि (वर्ष)	1 से 6 वर्ष	1 से 7 वर्ष	1 से 7 वर्ष	1 से 6 वर्ष	1 से 5 वर्ष

(स्त्रोतः पीएसयूज द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से संकलित आंकड़े)

यह देखा जा सकता है कि पीएसयूज की लंबित लेखों की संख्या वर्ष 2011–12 में 15 पीएसयूज के 41 लेखों से घटकर वर्ष 2015–16 में 15 पीएसयूज के 33 लेखें हो गयी। 30 सितम्बर 2015 को केवल 34 लेखों में से 23 लेखों को चालू वर्ष में अंतिमीकृत हुए थे। बकाया की सीमा एक से पाँच वर्ष तक थी।

प्रशासनिक विभागों पर इन इकाईयों के कार्यकलापों का निरीक्षण करने का उत्तरदायित्व है तथा यह भी सुनिश्चित करना है कि ये पीएसयू अपने लेखों का अंतिमीकरण एवं उनका अंगीकरण निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर कर रहे हैं। संबंधित शासकीय प्रशासनिक विभागों एवं अधिकारियों को लेखों के अंतिमीकरण में बकाया से संबंधित जानकारी दे दी गई है। इसके अतिरिक्त, यह मामला महालेखाकार द्वारा मुख्य सचिव को लंबित लेखों को निराकरण करने के लिए चालू वित्त वर्ष (जून 2016 और नवम्बर 2016) के दौरान दो बार अवगत कराया गया है। यद्यपि कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं देखा गया है।

1.11 वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने पाँच पीएसयूज में ₹ 1892.45 करोड़ (ऋणः ₹ 530.92 करोड़ दो पीएसयूज में एवं अनुदानः ₹ 1361.53 करोड़ तीन पीएसयूज में) का निवेश किया जिनके लेखे अंतिमीकृत नहीं हुऐ थे जिनका विवरण *अनुलग्नक–1.2* में दिया गया है। लेखों के अंतिमीकरण और उनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि किए गए निवेश और व्यय का लेखांकन उचित तरीके से किया गया था एवं जिस उद्देश्य हेतु निवेश किया गया था, उस उद्देश्य की प्राप्ति हुई या नहीं। इसके अतिरिक्त, इन पीएसयू के वर्तमान शुद्ध आवर्त का आंकलन लेखों के अंतिमीकरण के अभाव में नहीं किया जा सकता। इस प्रकार इन पीएसयू में शासकीय निवेश राज्य की विधायिका के नियंत्रण से बाहर रहा।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

1.12 छत्तीसगढ़ राज्य वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन (सीएसडब्ल्यूसी) के वार्षिक लेखो पर सीएजी द्वारा जारी पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) राज्य की विधानसभा के पटल पर रखा जाता हैं। सीएसडब्ल्यूसी के 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिये तैयार लेखों पर एसएआर को 16 मार्च 2016 को विधानसभा में रखा जा चुका है।

[4] सीएसईबी को लंबित लेखों के रूप में विचारित नहीं किया गया है और 14 दिसम्बर 2011 को निगमित सीपीएचसीएल को भी उसके प्रथम लेखे 15 माह की अवधि के लिए तैयार करने के कारण लंबित लेखों में विचारित नहीं किया गया है। यद्यपि सीएमएससीएल के संबंध में दो लेखों को लंबित माना गया क्योंकि कम्पनी ने दो पृथक लेखे पहला 7 अक्टूबर 2010 से 31 मार्च 2011 की अवधि के लिए और दूसरा 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 की अवधि हेतु तैयार किये है।

[5] आरएनएनटीएल से पाँच वर्षों 2011–12 से 2015–16 तक के लेखे अप्राप्त है।

लेखों के अंतिमीकरण न करने पर प्रभाव

1.13 जैसा कि ऊपर इंगित किया गया है (कंडिका 1.10 और 1.11), लेखों के अंतिमीकरण में विलम्ब से प्रासंगिक प्रावधानों के उल्लंघन के साथ लोकनिधि की धोखाधड़ी एवं बर्बादी के जोखिम की सम्भावना हो सकती है। उपरोक्त के अनुसार राज्य के लंबित लेखों की दशा में वर्ष 2015–16 में राज्य की जीडीपी में पीएसयू का वास्तविक योगदान का आंकलन नहीं किया जा सकता था तथा राजकोष में उनके योगदान को भी राज्य की विधायिका को प्रतिवेदित नहीं किया गया।

अतः ये अनुशंसा की जाती है कि:

- सरकार को बकाया के निराकरण के निरीक्षण हेतु एक प्रकोष्ठ का गठन करना चाहिए और प्रत्येक कम्पनी/निगम के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करना चाहिए जिसका निरीक्षण प्रकोष्ठ द्वारा किया जाए।
- जहाँ स्टाफ अपर्याप्त या अयोग्य है वहाँ सरकार को लेखे तैयार करने के लिए बाह्य स्त्रोत पर विचार करना चाहिए।

अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार पीएसयूज के निष्पादन

1.14 सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगम की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम का विस्तृत विवरण ***अनुलग्नक–1.1*** में है। पीएसयू के आवर्त का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में सक्रियता की सीमा को दर्शाता है। वर्ष 2015–16 में समाप्त पाँच वर्षों की अवधि में पीएसयू आवर्त और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का विस्तृत विवरण **तालिका – 1.7** में प्रदर्शित है।

तालिका – 1.7: कार्यरत पीएसयूज का आवर्त और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का विस्तृत विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
आवर्त[6]	14200.21	11776.04	13734.46	15510.96	21579.75
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद	158074	177511	206786	236318	251447
राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में आवर्त का प्रतिशत	8.98	6.63	6.47	6.56	8.58

(स्त्रोतः सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वन मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाईट तथा पीएसयूज द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का पीएसयूज के आवर्त से प्रतिशत वर्ष 2011–12 के 8.98 से घट कर 2015–16 में 8.58 हो गया। प्रथम लेखों के अंतिमीकृत न हो पाने के कारण एक पीएसयू (आरएनएनटीएल) के आवर्त को 2015–16 के ₹ 21579.75 करोड़ के आवर्त में सम्मिलित नहीं किया गया हैं।

1.15 वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान 30 सितम्बर 2016 को अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार राज्य में कार्यरत पीएसयूज द्वारा अर्जित लाभ और हुई हानि **रेखाचित्र – 1.4** में प्रदर्शित की गई है।

[6] 30 सितम्बर को अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार आवर्त।

रेखाचित्र–1.4: वर्ष के दौरान कार्यरत पीएसयूज द्वारा अर्जित सकल लाभ/हानियाँ

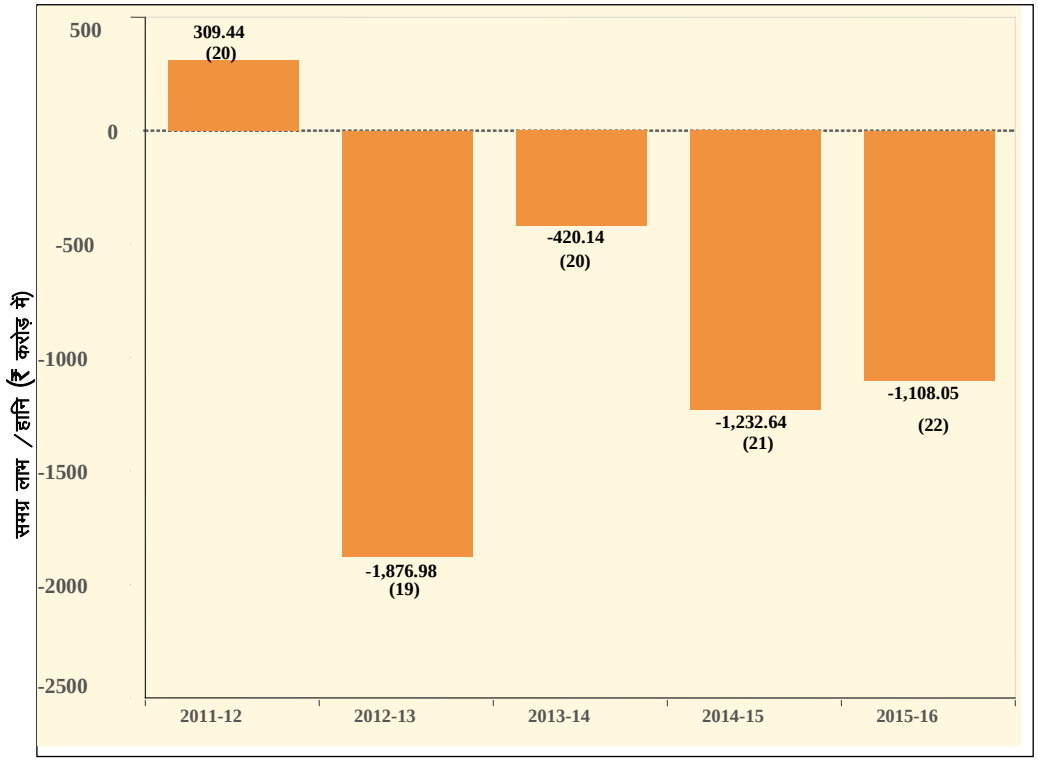

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संबंधित वर्षों में कार्यरत पीएसयूज की संख्या को दर्शाते हैं।)

राज्य के पीएसयूज द्वारा 2011–12 में अर्जित औसत लाभ ₹ 309.44 करोड़ था, जो कि वर्ष 2012–13 में ₹ 1876.98 करोड़ की औसत हानि में परिवर्तित हो गया, जिसका मुख्य कारण छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड को हुई अत्यधिक हानि (₹ 2012.27 करोड़) थी। वर्ष 2015–16 में समग्र हानि ₹ 1108.05 करोड़ थी। वर्ष के दौरान, 22 कार्यरत पीएसयूज में से, 12 पीएसयूज[7] द्वारा ₹ 488.93 करोड़ का समग्र लाभ अर्जित किया गया तथा आठ पीएसयूज[8] में समग्र रूप से ₹ 1596.98 करोड़ की हानि हुई। एक पीएसयू[9] को न लाभ न हानि हुआ। शेष एक पीएसयू[10] ने अपने प्रथम लेखों को अंतिमीकृत नहीं किया। लाभ में प्रमुख योगदान छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (₹ 354.15 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम (₹ 44.33 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (₹ 37.52 करोड़) एवं छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (₹ 25.99 करोड़) का रहा। मुख्यतः हानि, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 1554.17 करोड़), एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड (₹ 40.32 करोड़) को हुई।

1.16 राज्य के पीएसयूज से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण मापदण्ड **तालिका – 1.8** में दिए गए है।

[7] सीआरबीईकेव्हीएनएल, सीआरव्हीव्हीएनएल, सीएनजेव्हीएव्हीएन, सीआईडीसी, सीएसपीजीसीएल, सीएसपीएचसीएल, सीएसबीसीएल, सीएससीएससीएल, सीएमएससीएल, सीपीएचसीएल, सीएमडीसी एवं सीएसडब्ल्यूसी

[8] सीएसआईडीसी, सीएससीसीएल, सीएपीसीएल, सीएसपीडीसीएल, सीएसपीटीआरसीएल सीएसपीटीसीएल सीआरडीसीएल एवं केसीएल

[9] सीआईसीएल

[10] रायपुर नगर निगम ट्रांसपोर्ट लिमिटेड

तालिका – 1.8: राज्य के पीएसयूज के मुख्य मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
नियोजित पूँजी पर प्रत्याय (प्रतिशत में)	5.59	-	-	-	-
ऋण	8576.28	3156.39	12033.56	13602.11	15535.31
आवर्त[11]	14200.21	11776.04	13734.46	15510.96	21579.75
ऋण/आवर्त अनुपात	0.60	0.27	0.88	0.88	0.72
ब्याज का भुगतान	618.38	395.46	415.87	697.83	1009.99
संचित लाभ/(–) हानि	2002.78	(-) 3136.26	(-) 3627.12	(-) 4780.58	(-) 5879.98

(स्त्रोतः पीएसयूज द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी से संकलित आंकड़े)

वर्ष 2011–12 के दौरान नियोजित पूँजी पर प्रत्याय 5.59 प्रतिशत था और बाद के वर्षों में कोई प्रत्याय प्राप्त नहीं हुआ जिससे पीएसयूज को हानि हुई। 2011–12 में राज्य के पीएसयूज का संचित लाभ ₹ 2002.78 करोड़ था जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड में हुई अत्यधिक हानि के परिणामस्वरूप ₹ 5879.98 करोड़ की संचित हानि में परिवर्तित हो गयी। यह पीएसयूज में संचालनात्मक निष्पादन में हुई गिरावट को इंगित करता है। ऋण/आवर्त अनुपात 2011–12 में 0.60:1 से बढ़कर 2015–16 में 0.72:1 हो गया जो यह दर्शाता है कि उक्त अवधि के दौरान ऋण की वृद्धि के अनुपात में आवर्त की वृद्धि नहीं हुई।

1.17 राज्य सरकार ने अपने द्वारा दी गई प्रदत्त अंशपूँजी पर न्यूनतम प्रत्याय देने के लिए कोई लाभांश नीति नहीं बनाई गयी है। उनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार, 12 पीएसयूज ने ₹ 488.93 करोड़ का समग्र लाभ अर्जित किया जिनमें से केवल दो पीएसयूज (छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम) ने ₹ 4.53 करोड़ का लाभांश घोषित किया।

लेखों पर टिप्पणियाँ

1.18 1 अक्टूबर 2015 से 30 सितम्बर 2016 तक की अवधि में 19 कम्पनियों ने अपने 22 अंकेक्षित लेखे महालेखाकार को अग्रेषित किये। इनमें से, 19 कंपनियों[12] के 21 लेखो का चयन अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए किया गया। सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों तथा सीएजी की अनुपूरक लेखापरीक्षा दर्शाती हैं कि वास्तव में लेखों के संधारण की गुणवत्ता में सुधार किए जाने की आवश्यकता हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा सीएजी की टिप्पणियों के समग्र मौद्रिक मूल्य का विवरण **तालिका – 1.9** में दिया गया है।

[11] 30 सितम्बर 2016 को अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार पीएसयू का आवर्त

[12] सीआरबीईकेव्हीएनएल, सीआरव्हीव्हीएनएल, सीआईडीसी, सीएसआईडीसी, सीएमडीसी, सीआईसीएल, सीएससीसीएल, सीएपीसीएल, सीएसपीडीसीएल, सीएसपीजीसीएल, सीएसपीएचसीएल, सीएसपीटीआरसीएल सीएसपीटीसीएल, सीएसबीसीएल, सीएससीएससीएल, सीएमएससीएल, सीपीएचसीएल, सीआरडीसीएल एवं केसीएल

तालिका – 1.9: कार्यरत कम्पनियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

क्र. सं.	विवरण	2013-14		2014-15		2015-16	
		लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	लाभ में कमी	7	3.70	9	26.35	8	31.09
2.	हानि में वृद्धि	3	216.54	4	6.09	3	7.94
3.	लाभ में वृद्धि	4	0.90	5	150.74	4	177.42
4.	हानि में कमी	4	1448.49	1	360.86	4	26.58
5.	सारवान तथ्यों को प्रकट न करना	3	1065.51	6	527.54	6	581.49
6.	वर्गीकरण में त्रुटियाँ	1	34.01	6	77.76	3	17.12

(स्त्रोतः आंकड़े लेखापरीक्षा के द्वारा निकाले गये है)

वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा छः लेखों को अमर्यादित प्रमाण पत्र एवं 16 लेखों को मर्यादित प्रमाण पत्र दिए गए। कम्पनियों द्वारा लेखा मानकों का अनुपालन कमजोर रहा क्योंकि वर्ष के दौरान 15 पीएसयूज के लेखों में से 26 मामलों में इसका अनुपालन नही किया गया।

1.19 इसी प्रकार, वर्ष 2015–16 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम के द्वारा वर्ष 2014–15 के लेखों को महालेखाकार को अग्रेषित किया गया। सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा लेखों पर मर्यादित प्रमाण पत्र दिया गया तथा निगम के लेखों को अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चयनित किया गया। निगम के सांविधिक लेखापरीक्षक तथा सीएजी की टिप्पणियों के समग्र मौद्रिक मूल्य का विवरण तालिका – 1.10 में दिया गया है।

तालिका – 1.10: सांविधिक निगम पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों के प्रभाव

क्र. सं.	विवरण	2013-14		2014-15		2015-16	
		लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	लाभ में वृद्धि	-	-	1	0.53	अंतिमीकरण के अधीन	
2	लाभ में कमी	1	0.20	1	0.82		

(स्त्रोतः आंकड़े लेखापरीक्षा के द्वारा निकाले गये है)

लेखापरीक्षा के प्रति शासन की प्रतिक्रिया

निष्पादन लेखापरीक्षाएँ एंव कंडिकाएँ

1.20 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए सीएजी के प्रतिवेदन के लिए, छः विभागों से संबंधित एक निष्पादन लेखापरीक्षा, पुर्नगठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम पर निष्पादन लेखापरीक्षा, एक छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा खनिजों के खनन एवं विपणन की लेखापरीक्षा एवं नौ अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएँ, संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों को छः सप्ताह के अंदर उत्तर उपलब्ध करने के निवेदन के साथ जारी किया गया था। राज्य शासन से सभी उत्तर प्राप्त हुए।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

उत्तर अप्राप्त

1.21 सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जाँच की प्रक्रिया की चरम स्थिति को प्रदर्शित करती है। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (कोपू) के आंतरिक कार्यों हेतु प्रक्रिया के नियमों के अनुसार, प्रशासनिक विभाग को स्वतः सभी लेखापरीक्षा की कंडिकाएँ एवं निष्पादन लेखापरीक्षा जो नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल है उन पर कार्यवाही करनी चाहिए बजाए इसके कि इनका कोपू के द्वारा जाँच के लिए चयन किया गया हैं या नहीं। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की विधायिका में प्रस्तुति के 6 माह के अंदर उन पर सुधारात्मक कार्यवाही की गयी या की जाने वाली हो, को प्रदर्शित करते हुए व्याख्यात्मक टिप्पणी भी प्रस्तुत करना चाहिए था। उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणी 30 सितम्बर 2016 की स्थिति में अप्राप्त है जिसे **तालिका – 1.11** में दर्शाया गया है।

तालिका – 1.11: अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (30 सितम्बर 2016 की स्थिति में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष (वाणिज्यिक/पीएसयूज)	राज्य विधायिका में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएँ एवं कंडिकाएँ		निष्पादन लेखापरीक्षाएँ/कंडिकाओं की संख्या जिनके लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुईं	
		निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिकाएँ	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिकाएँ
2008–09	26 मार्च 2010	1	5	–	2
2014–15	31 मार्च 2016	1	13	1	4
योग		**2**	**18**	**1**	**6**

(स्त्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा संकलित आंकड़े)

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि तीन विभागों (ऊर्जा विभाग, गृह विभाग, एवं वाणिज्यि एवं उद्योग विभाग) से संबंधित 20 कंडिकाएँ/निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से सात कंडिकाएँ/निष्पादन लेखापरीक्षाएँ, जिन पर टिप्पणी की गई थी, के व्याख्यात्मक टीप अप्राप्त (सितम्बर 2016) थे।

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

1.22 30 सितम्बर 2016 को निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं कंडिकाओं की स्थिति जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल एवं वाणिज्यिक) एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयजू) में शामिल थे, जिनपर कोपू के द्वारा चर्चा की गई, **तालिका – 1.12** में दी गई है।

तालिका – 1.12: 30 सितम्बर 2016 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल की गई निष्पादन लेखापरीक्षाओं/कंडिकाओं पर की गई चर्चा का विवरण

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/कंडिकाओं की संख्या					
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल		कंडिकाएँ जिनपर चर्चा हुई		चर्चा के लिए लंबित कंडिकाएँ	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिकाएँ	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिकाएँ	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिकाएँ
2008-09	1	5	1	3	-	2
2010-11	1	8	1	5	-	3
2011-12	1	10	-	3	1	7
2012-13	1	9	1	4	-	5
2013-14	1	11	-	5	1	6
2014-15	1	13	-	1	1	12
योग	**6**	**56**	**3**	**21**	**3**	**35**

(स्त्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा संकलित आंकड़े)

सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति (कोपू) के प्रतिवेदनों का अनुपालन

1.23 जुलाई 2008 एवं मार्च 2012 के दौरान राज्य की विधायिका के समक्ष प्रस्तुत कोपू के सात प्रतिवेदनों से संबंधित सात कंडिकाओं पर शासकीय विभागों की कार्यवाही विवरण (एक्शन टेकन नोट्स) अप्राप्त रहे (सितम्बर 2016) जैसा कि **तालिका – 1.13** में इंगित किया गया है।

तालिका – 1.13: कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

कोपू के प्रतिवेदन का वर्ष	कोपू के प्रतिवेदनों की कुल संख्या	कोपू के प्रतिवेदन में अनुशंसाओं की कुल संख्या	अनुशंसाओं की संख्या जिनके लिए कार्यवाही विवरण प्राप्त नहीं हुए
2008–09	2	3	1
2009–10	1	1	1
2010–11	3	4	3
2011–12	1	2	2
योग	**7**	**10**	**7**

(स्त्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा संकलित आंकड़े)

कोपू के इन प्रतिवेदनों में तीन विभागों (खाद्य विभाग, ऊर्जा विभाग तथा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग) से संबंधित कंडिकाओं के बारे में अनुशंसाएँ थी, जो 2002–03 से 2008–09 के वर्षों में भारत के सीएजी के प्रतिवेदनों में शामिल थी।

यह अनुशंसा की जाती है कि शासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि:

- निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं कोपू की अनुशंसाओं पर कार्यवाही विवरण के उत्तर/व्याख्यात्मक टीप निर्धारित समय सीमा में भेजे जायें;
- हानि/लंबित अग्रिमों/अधिक भुगतान की वसूली निर्धारित समय सीमा में की जाये; एवं
- लेखापरीक्षा आपत्तियों का उत्तर देने से संबंधित प्रणाली का नवीनीकरण किया जाना चाहिए।